बिहार लोक सेवा आयोग
15ए, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800001

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या–26/2023,
विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा

विज्ञापन संख्या–26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित होने के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा Social Media Platform-"Youtube" के माध्यम से आयोग के चयन प्रक्रिया एवं परीक्षाफल पर बिना किसी साक्ष्य के प्रश्नचिन्ह् लगाया जा रहा है, साथ ही अनर्गल एवं दिग्भ्रमित करने वाले निराधार बातों को फैलाया जा रहा है। जिससे आयोग की छवि धूमिल हुई है।

ज्ञातव्य हो कि आयोग एक उच्च निष्ठा वाली संवैधानिक संस्था है एवं माननीय अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक पद है आयोग की गरिमा को सुरक्षित/अक्षुण्ण रखने हेतु पूर्व में दिनांक–10.07.2023 को एक आम सूचना आयोग के website एवं प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए इस संबंध में चेतावनी जारी की गई थी।

बावजूद इसके निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यविहीन एवं भ्रामक टिप्पणियाँ करते हुए आयोग की छवि धूमिल करने की चेष्टा की गई है:–

1. मो॰ रिजवान आलम अनुक्रमांक सं॰–289427 पंजीयन सं॰–202326220582–आयोग पर फर्जी परीक्षाफल देने का आरोप लगाया है।
2. सतीश कुमार अनुक्रमांक सं॰–826001 पंजीयन सं॰–202326047310–आयोग को Centralised धांधली का अड्डा बताया गया है। OMR Sheet आयोग में रंगवाने एवं सुनियोजित चयन प्रक्रिया करने का आरोप आयोग पर लगाया है।
3. सुरेश कुमार सिंह अनुक्रमांक सं॰–880250 पंजीयन सं॰–202326097753–STET Certificate की जगह गाय/घास का फोटो भी आयोग द्वारा Verify कर देने संबंधी हास्यास्पद टिप्पणी की गई है।
4. सिंकदर कुमार अनुक्रमांक सं॰–829470 पंजीयन सं॰–202326643796– आयोग को संविधान एवं विज्ञापन के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया है।

5. वीरधनजंय कुमार अनुक्रमांक सं॰–831559 पंजीयन सं॰–202326379819–परीक्षाफल में पारदर्शिता नहीं होने का आरोप आयोग पर लगाया गया है।

आपके द्वारा आयोग पर लगाये गए उक्त वर्णित सभी आरोप/टिप्पणियाँ निराधार है एवं इससे एक प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता मलिन हुई है।

अतः आप सभी को निदेशित किया जाता है कि सूचना प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर आयोग के ईमेल/डाक के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य के विरूद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाय एवं आयोग के आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाय।

उक्त वर्णित तिथि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माना जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदालोक में आयोग आपके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिये स्वतंत्र होगा।

7/11/2023

अपर सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक (TRE)
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना